पत्र संख्या : 7ब/2700–स्था०व्य० –01 –03/2019 ज०सं० 179

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

प्रशासक, स्वर्णरेखा बहूद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर
मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा परियोजना, चांडिल कॉम्प्लेक्स/ईचा–गालुडीह कॉम्प्लेक्स आदित्यपुर, जमशेदपुर/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, राँची/मुख्य अभियंता, रुपांकण, समग्र योजना और जल विज्ञान, राँची/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, राँची/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 17/12/19

विषय :– वित्तीय वर्ष 2019–20 के मांग संख्या– 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई, उप मुख्य शीर्ष–01– मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक, लघु शीर्ष–001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट मुख्य शीर्ष **2700–मुख्य सिंचाई** के अंतर्गत परिशिष्ट–I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2700–मुख्य सिंचाई	01 मुख्य सिंचाई–वाणिज्यिक	001–निदेशन तथा प्रशासन/ 02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना	**829.910**

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि – रुपये आठ करोड़ उन्तीस लाख एक्यानबे हजार मात्र

---

2. आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2019–20 के बजट उपबंध ₹. 19358.53 लाख **(एक सौ तिरानबे करोड़ अन्ठावन लाख तिरपन हजार मात्र)** के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 एवं 1681(वि०) दि० 16.06.15 के आलोक में होगा।
4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
5. आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से हीं किया जायेगा।
6. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगें ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।
7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

8. सेवानिवृत कर्मियों को अनुमान्य एक मुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित विभाग के पत्रांक–170 दिनांक–01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायेगी।

9. वित विभाग के पत्रांक – 29/बी टी ई–18/2014–15 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

10. यदि आवंटित की गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगें। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा।

11. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यर्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण Online किया जाय साथ हीं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कॉपी में Access No तथा Revoke No/Surrender No का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय। **अतिरिक्त आबंटन की अधियाचना के विरूद्ध आबंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आबंटन के विरूद्ध शत–प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।**

12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

14. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्रा भत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत कर्मियों को सेवानिवृति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (chronological order) किया जाय।

15. विभिन्न इकाईयों में आवंटित राशि में से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31मार्च 2020 के पूर्व** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनु॰ :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 179 रॉची, दिनांक :– 17/12/19

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड पो॰ -- हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/जमशेदपुर/चाईबासा/सरायकेला–खरसॉवा/घाटशिला/देवघर/ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– 179 रॉची, दिनांक :– 17/12/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ज०सं०वि०/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो॰), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि॰)/उप सचिव (अभि॰), जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, ज०सं०वि० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु॰ :– यथोक्त

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट I

पत्रांक 179 दिनांक 17/12/19 का अनुलग्नक

मुख्य शीर्ष–2700–मुख्य सिंचाई / उप मुख्य शीर्ष–01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक

लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन / उप शीर्ष–02–स्वर्णरेखा बाँध परियोजना

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2019–20		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S270001001020101	49S270001001020110	49S270001001020112	49S270001001020213	49S270001001020315	49S270001001020333	49S270001001020334	49S270001001020337	49S270001001020442	49S270001001020760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	प्रशासक स्वर्ण रेखा बहुउदेशीय परि0 आदित्यपुर जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	144.000	0.000	0.000	1.200	1.100	0.300	0.000	1.500	1.400	0.000	149.500	
		अतिरिक्त आवंटन	8.240	0.000	0.000	0.600	0.400	0.300	0.000	0.000	0.100	0.000	9.640	
		कुल आवंटन	152.240	0.000	0.000	1.800	1.500	0.600	0.000	1.500	1.500	0.000	159.140	
2	मुख्य अभियंता–चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	145.000	0.000	0.000	0.800	0.800	0.200	0.000	0.000	1.000	0.000	147.800	
		अतिरिक्त आवंटन	17.000	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	18.000	
		कुल आवंटन	162.000	0.000	0.000	0.800	1.200	0.200	0.000	0.000	1.600	0.000	165.800	
3	मुख्य अभि0, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान रॉची	पूर्व का आवंटन	80.000	0.000	0.250	0.600	0.800	0.200	0.000	0.000	0.800	0.600	83.250	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	
		कुल आवंटन	80.000	0.000	0.250	0.600	1.000	0.200	0.000	0.000	0.800	0.600	83.450	
4	खरकई नहर अंचल, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन	220.000	0.000	0.300	0.400	0.600	0.150	0.000	0.000	0.800	0.200	222.450	
		अतिरिक्त आवंटन	89.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	0.000	0.600	0.000	89.750	
		कुल आवंटन	309.000	0.000	0.300	0.400	0.600	0.300	0.000	0.000	1.400	0.200	312.200	
5	खरकई बांध अंचल, चालियामा	पूर्व का आवंटन	115.000	0.000	0.200	0.400	0.500	0.150	0.000	0.200	1.000	0.000	117.450	
		अतिरिक्त आवंटन	12.500	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.700	
		कुल आवंटन	127.500	0.000	0.200	0.400	0.700	0.150	0.000	0.200	1.000	0.000	130.150	
6	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–2 देवघर	पूर्व का आवंटन	169.000	0.000	0.250	1.000	0.900	0.150	0.000	0.000	0.800	0.200	172.300	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.400	
		कुल आवंटन	169.000	0.000	0.250	1.000	1.100	0.150	0.000	0.000	0.800	0.400	172.700	
7	स्वर्ण रेखा बांध अंचल चांडिल	पूर्व का आवंटन	169.000	0.000	0.000	0.800	0.600	0.050	0.000	0.300	1.000	0.000	171.750	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	0.750	
		कुल आवंटन	169.000	0.000	0.000	1.000	0.800	0.100	0.000	0.300	1.300	0.000	172.500	
8	अपर निदेशक भू–अर्जन एवं पुर्नवास स्वर्ण रेखा परियोजना	पूर्व का आवंटन	49.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	49.800	
		अतिरिक्त आवंटन	3.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.050	0.000	0.000	0.300	0.200	3.750	
		कुल आवंटन	52.000	0.000	0.000	0.200	0.450	0.100	0.000	0.000	0.600	0.200	53.550	
9	आयोजन एवं मोनेटरिंग प्रमंडल – जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	251.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.000	0.000	0.300	5.350	257.150	
		अतिरिक्त आवंटन	88.000	0.000	0.000	0.250	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	88.350	
		कुल आवंटन	339.000	0.000	0.000	0.450	0.250	0.050	0.000	0.100	0.300	5.350	345.500	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

क0 सं0	वित्तीय वर्ष 2019–20		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम	विपत्र कोड	वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
			49S270001001020101	49S270001001020110	49S270001001020112	49S270001001020213	49S270001001020315	49S270001001020333	49S270001001020334	49S270001001020337	49S270001001020442	49S270001001020760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	उप निदेशक क्रय निर्माण सामग्री एवं निविदा नियंत्रण आदित्यपुर–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	270.000	0.000	0.250	0.500	0.550	0.100	0.000	0.200	0.700	0.000	272.300	
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.000	0.000	0.100	0.400	0.000	0.800	
		कुल आवंटन	270.000	0.000	0.250	0.800	0.550	0.100	0.000	0.300	1.100	0.000	273.100	
11	खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर	पूर्व का आवंटन	549.000	0.000	0.300	1.400	0.550	0.150	0.000	10.000	0.700	0.200	562.300	
		अतिरिक्त आवंटन	122.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.300	0.400	122.900	
		कुल आवंटन	671.000	0.000	0.300	1.400	0.750	0.150	0.000	10.000	1.000	0.600	685.200	
12	गुण नियंत्रण प्रमंडल जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	400.000	0.000	0.000	1.050	0.450	0.150	0.000	0.000	0.900	0.100	402.650	
		अतिरिक्त आवंटन	33.000	0.000	0.000	0.000	0.200	0.100	0.000	3.000	0.400	0.100	36.800	
		कुल आवंटन	433.000	0.000	0.000	1.050	0.650	0.250	0.000	3.000	1.300	0.200	439.450	
13	नहर रूपांकण प्रमंडल सं0–1 जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	315.000	0.000	0.000	0.400	0.550	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	316.000	
		अतिरिक्त आवंटन	54.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.070	0.000	0.000	0.000	0.000	54.570	
		कुल आवंटन	369.500	0.000	0.000	0.400	0.550	0.120	0.000	0.000	0.000	0.000	370.570	
14	बांध एवं बराज रूपांकण प्रमंडल – जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	300.000	0.000	0.400	1.400	0.650	0.150	0.000	0.100	0.000	0.000	302.700	
		अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	1.100	3.800	0.250	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	20.250	
		कुल आवंटन	315.000	0.000	1.500	5.200	0.900	0.150	0.000	0.100	0.000	0.100	322.950	
15	यांत्रिक प्रमंडल, चांडिल	पूर्व का आवंटन	222.000	0.000	0.000	0.600	0.550	0.050	0.000	0.500	0.700	0.000	224.400	
		अतिरिक्त आवंटन	15.000	0.000	0.000	0.250	0.150	0.000	0.000	0.000	0.400	0.000	15.800	
		कुल आवंटन	237.000	0.000	0.000	0.850	0.700	0.050	0.000	0.500	1.100	0.000	240.200	
16	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–3 मानगो, जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	385.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	385.500	
		अतिरिक्त आवंटन	113.000	0.000	0.000	0.400	0.300	0.000	0.000	0.500	0.000	1.000	115.200	
		कुल आवंटन	498.000	0.000	0.000	0.600	0.550	0.050	0.000	0.500	0.000	1.000	500.700	
17	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–8 जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	248.000	0.000	0.000	1.100	0.450	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	249.900	
		अतिरिक्त आवंटन	80.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.080	0.000	6.000	0.400	0.300	86.930	
		कुल आवंटन	328.000	0.000	0.000	1.100	0.600	0.130	0.000	6.000	0.700	0.300	336.830	
18	लघु वितरणी प्रमंडल सं0–10 घाटशिला	पूर्व का आवंटन	400.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	400.500	
		अतिरिक्त आवंटन	50.000	0.000	0.000	0.200	0.200	0.150	0.000	0.000	0.000	0.100	50.650	
		कुल आवंटन	450.000	0.000	0.000	0.400	0.450	0.200	0.000	0.000	0.000	0.100	451.150	
19	विशेष भू–अर्जन पदा0 स्वर्ण रेखा परियोजना चांडिल, पश्चिमी सिंहभूम	पूर्व का आवंटन	232.000	0.000	0.000	0.200	0.550	0.050	0.000	0.000	0.300	0.400	233.500	
		अतिरिक्त आवंटन	58.000	0.000	0.000	0.600	0.000	0.250	0.000	0.500	0.500	0.300	60.150	
		कुल आवंटन	290.000	0.000	0.000	0.800	0.550	0.300	0.000	0.500	0.800	0.700	293.650	

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि0)

179
17/12/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2019–20		विस्तृत शीर्ष–01–वेतन एवं भत्तें			विस्तृत शीर्ष–02–यात्रा व्यय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय				विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियां	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय	राशि लाख रूपये में	
	कार्यालय का नाम		वेतन	15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विधि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति
		विपत्र कोड	49S270001001020101	49S270001001020110	49S270001001020112	49S270001001020213	49S270001001020315	49S270001001020333	49S270001001020334	49S270001001020337	49S270001001020442	49S270001001020760		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	सहा० निदेशक जन संपर्क स्वर्ण रेखा परियोजना आदित्यपुर–जमशेदपुर	पूर्व का आवंटन	19.000	0.000	0.000	0.200	0.250	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	19.800	
		अतिरिक्त आवंटन	7.000	0.000	0.000	0.000	0.120	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	7.320	
		कुल आवंटन	26.000	0.000	0.000	0.200	0.370	0.050	0.000	0.000	0.500	0.000	27.120	
21	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल गांगुडीह	पूर्व का आवंटन	430.000	0.000	0.000	1.000	0.650	0.150	0.000	0.000	0.000	0.600	432.400	
		अतिरिक्त आवंटन	35.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	35.000	
		कुल आवंटन	465.000	0.000	0.000	1.000	0.650	0.150	0.000	0.000	0.000	0.600	467.400	
	अतिरिक्त आवटन का योग		800.240	0.000	1.100	6.600	3.370	1.200	0.000	10.200	4.500	2.700	829.910	

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध–14/2010–69/बजट दि० 11.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.10.2012 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि– रुपये आठ करोड़ उन्तीस लाख एक्यानबे हजार मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)

179
17/12/19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

(अरूण कुमार सिंह) 14.12.19
अपर मुख्य सचिव